छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष : 0771 – 3057004, 3057005 फैक्स : 0771 – 3057024, 2429385

क्रमाँक/5314/प0 स0/2016 रायपुर दिनाँक 23/5/2016

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त मान्यता प्राप्त/अग्रेषण संस्थाऐं,
छत्तीसगढ़ ।

स्वाध्यायी आवेदन भरने के निर्देश सत्र 2016 – 2017

विषय :– **हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2017 स्वाध्यायी आवेदन भरने विषयक निर्देश ।**

शिक्षण सत्र 2016 – 2017 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के स्वाध्यायी आवेदन पत्र अग्रेषण हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05 जनवरी 2016 के निर्णयानुसार मण्डल की मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को अग्रेषण संस्था नियुक्त किया जाता है ।

परीक्षा समिति के निर्णयानुसार मण्डल कार्यालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा 2016 – 2017 से बन्द कर छात्रों को स्वाध्यायी के नाते परीक्षा में सम्मिलित कराया जावेगा । इस हेतु स्वाध्यायी छात्रों हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है :–

(1) **हाईस्कूल परीक्षा में निम्न परीक्षार्थी स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे :–**

1.1 कक्षा 08वीं की परीक्षा, मार्च 2015 या उसके पूर्व उत्तीर्ण परीक्षार्थी। (अर्थात कक्षा 08वीं परीक्षा के बाद एक वर्ष का गेप अनिवार्य)

1.2 मार्च 2016 अथवा उसके पूर्व छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वी हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

1.3 मार्च 2016 अथवा उसके पूर्व छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की समकक्ष अन्य बोर्डो अथवा परीक्षा निकायों की कक्षा 10वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

1.4 केंन्द्रय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के स्थानीय लोकल परीक्षा को मण्डल की कक्षा 10वीं परीक्षा के समतुल्य मान्य किया गया है, वे छात्र भी स्वाध्यायी रूप की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे ।

(2) हायर सेकण्डरी परीक्षा में निम्न परीक्षार्थी स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे :-

2.1 मार्च 2015 अथवा इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी (अर्थात 10 वीं परीक्षा के बाद एक वर्ष का गेप अनिवार्य) ।

2.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डलों एवं परीक्षा निकायों से मार्च 2015 या उसके पूर्व 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

2.3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मार्च 2016 की कक्षा 12वीं/12वीं व्यावसायिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

2.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डल अथवा परीक्षा निकायों से मार्च 2015 या उसके पूर्व कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

2.5 व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो निरन्तर अवसर प्रदान किये जायेंगे । छात्र दूसरे अवसर (पूरक परीक्षा) में प्रथम अवसर के अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा दे सकेंगे ।

(3) हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

3.1 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन भरने के लिए सर्वप्रथम मण्डल की वेबसाईट **cgbse.net** परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारुप डाउन लोड करेंगे ।

3.2 इस प्रारुप में समस्त प्रविष्टीयाँ स्वयं की हस्तलिपि में भरेंगे । अग्रेषण संस्था क्रमांक .... ब्लाक कोड अग्रेषण संस्था (मण्डल की मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्था) के प्राचार्य द्वारा ही भरा जायेगा ।

3.3 परीक्षार्थी स्वयं समस्त जानकारी भरने के उपरान्त परीक्षा में बैठने की पात्रता सम्बंधी दस्तावेज संलग्न करते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अग्रेषण संस्था में आवेदन पत्र की जांच करायेंगे ।

3.4 परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पात्रता सम्बंधी जाँच प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करके पात्र पाए जाने पर आवेदन पत्र को अग्रेषण संस्था के प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा लगाकर अग्रेषित करेंगे । अग्रेषित आवेदन पत्र को अग्रेषण संस्था के प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा लगाकर अग्रेषित करेंगे । अग्रेषित आवेदन पत्र अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा की जायेगी । इस हेतु संस्था को अग्रेषण शुल्क रूपये 30/- प्रति छात्र द्वारा नगद देय होगा ।

3.5 केवल मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य पात्रता की जाँच उपरान्त आवेदनों की प्रविष्टी आवेदन पत्र भरवाकर करेंगे । प्राचार्य द्वारा आवेदन की बिना प्रविष्टी के मण्डल को नहीं भेजा जाना है । किसी प्राचार्य से बिना अग्रेषित एवं बिना प्रविष्टी के आवेदन भेजा जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जावेगा ।

3.6 आवेदन पत्र की प्रविष्टी कराने के उपरान्त प्राचार्य द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उसमें स्पैलिंग सम्बंधी या अन्य कोई त्रुटि नहीं है यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधार आवेदन पत्र जमा हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से कर लिया जावे । इसके उपरान्त त्रुटि सुधार आवेदन पत्र में किया जाना सम्भव नहीं है ।

3.7 त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त होने पर पात्रता सम्बंधी दस्तावेज सहित इसे अग्रेषण संस्था निर्धारित तिथि के पूर्व संकलित करें ।

3.8 अग्रेषण संस्था के प्राचार्य द्वारा अन्तिम तिथि उपरान्त समस्त अग्रेषित आवेदन पत्रों की सूची (नामिनल रोल) एवं आवेदन पत्र दस्तावेजो एवं शुल्क के बैकड्राफ्ट सहित समन्वयक संस्था में दिनाँक : 30.09.2016 तक जमा करेंगे । संभागीय कार्यालय का प्रतिनिधि दिनाँक : 05.10.2016 तक जिले की समन्वयक संस्था से समस्त आवेदन पत्र एवं दस्तावेज प्राप्त करेंगे । इन आवेदन पत्र एवं दस्तावेज की जांच संभागीय कार्यालय में कराई जावेगी ।

3.9 संभागीय कार्यालय को संस्थावार स्वाध्यायी आवेदन पत्रों की सूची दिनाँक : 20.10.2016 तक मण्डल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, जिसका मिलान अग्रेषण संस्था से प्राप्त सूची एवं आवेदन पत्रों से किया जावेगा ।

3.10 अग्रेषण संस्था प्राचार्य अग्रेषण शुल्क रूपये 30/– प्रति छात्रों से पृथक आवेदन अग्रेषण करते समय प्राप्त करेंगे, जिसमें संस्था प्रमुख/प्राचार्य को रूपये 10/– एवं सहायक अग्रेषणकर्ता शिक्षक को रूपये 15/– एवं सहयोगी भृत्य को रूपये 5/– देय होगा ।

3.11 कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले ऐसे नवीन परीक्षार्थी जिनका नामांकन पूर्व में मण्डल से नहीं हुआ है, उसका नामांकन कक्षा 10वीं के लिए ई–सीरीज तथा कक्षा 12वीं के लिए एफ–सीरीज से आवेदन पत्र भरते समय अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा कराया जाएगा । इस हेतु नामांकन शुल्क रूपये 50/– परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त जमा करना होगा ।

3.12 ऐसे परीक्षार्थी जो अन्य राज्य/बोर्ड के है उन्हे स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पूर्व अग्रेषणकर्ता के माध्यम से मण्डल के सम्बंधित संभागीय कार्यालय से पात्रता सम्बंधी समस्त दस्तावेज परीक्षा आवेदन पत्र भरने की नियत तिथि के पूर्व कर ग्राहयता शुल्क 200/– एवं नामांकन शुल्क 50/– जमा करना अनिवार्य होगा, जो परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देय होगा ।

(4) नियमित अनुत्तीर्ण छात्रों को क्रेडिट योजना के अन्तर्गत चार अवसर का लाभ विषयक ।

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के नाते अनुत्तीर्ण विषयों में क्रेडिट योजना के अन्तर्गत आगामी परीक्षा में लगातार तीन अवसर (1) उसी सत्र की पूरक परीक्षा में (2) आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा में तथा (3) आगामी सत्र की पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषयों में सम्मिलित हो सकेगें । क्रेडिट योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण विषयों के अंकों को आगे की परीक्षा की अंकसूची में सम्मिलित किया जावेगा अर्थात विद्यार्थी को केवल अनुत्तीर्ण विषय से ही आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

(5) हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश ।

1. डिजिटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनाँक युक्त, छात्र का रंगीन फोटोग्राफ आवेदन में चस्पा की जाना है । कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों एवं कक्षा 12वीं के स्वाध्यायी छात्रों को नवीनतम फोटो चस्पा की जाना अनिवार्य है ।
2. वर्ष 2015 एवं 2016 की मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण रहे छात्र श्रेणी सुधार हेतु वर्ष 2017 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है, ऐसे छात्र पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमाँक प्रविष्टी कराते हुए अग्रेषण संस्था के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं । इस श्रेणीं स्वाध्यायी छात्र अग्रेषण संस्था के कोड की प्रविष्टी करते हुए आवेदन भर सकेंगे । विषय परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा । श्रेणी सुधार योजना में अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को श्रेणी सुधार की पात्रता नहीं होगी । इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा । श्रेणी सुधार/अंक सुधार मे सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व प्राप्तांक में एक अंक की वृद्धि अथवा श्रेणी सुधार होने पर नवीन अंकसूची प्रदाय की जावेगी । छात्रों से पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त होने पर नवीन अंकसूची प्रदाय की जावेगी ।
3. स्वाध्यायी छात्र मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही अतिरिक्त विषय चयन कर सकेंगे ।
4. नेत्रहीन, मूक बधिर एवं स्पाष्टिक सेरेबिल पॉलसी (मानसिक रूप से विकृत) वर्ग के छात्र द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही विषयों का चयन कर सकेंगे । इस श्रेणी के हाईस्कूल परीक्षार्थियो का आवेदन भरते समय विषयों के कोड सावधानी से भरे जाये एवं विशेष ध्यान रखा जाये कि संगीत एवं चित्रकला विषय लिये जाने पर निर्धारित स्थान पर कोड भरे जाय ।
5. विषय एवं ब्लाक कोड लिस्ट मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है, तदनुसार ही आवेदन में सही कोड अंकित किये जाये ।
6. किसी भी प्राचार्य/अग्रेषण संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूली की जाती है तो हेल्प लाईन नम्बर : 18002334386 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

(6) मण्डल की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने के लिये शुल्क का विवरण ।

सक्र	विवरण	शुल्क
1	परीक्षा शुल्क (स्वाध्यायी संपूर्ण विषय)	800/-
2	द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अवसर हेतु एक विषय	180/-
3	द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अवसर हेतु दो विषय	210/-
4	नामांकन शुल्क (केवल नवीन छात्रों हेतु)	50/-
5	ग्राहयता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु)	200/-
6	स्वाध्यायी छात्रों की पात्रता जाँच करने हेतु अग्रेषणकर्ता अधिकारी को देय शुल्क	30/-

संस्था/परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं का शुल्क निम्नानुसार जमा कर सकते हैं :-

संस्था प्राचार्य के पास छात्रों को परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान करना होगा, प्राचार्य द्वारा नगद भुगतान की रसीद छात्रों को प्रदान की जावेगी, प्राचार्य द्वारा एकजाई शुल्क का बैंक ड्राफ्ट समन्वय संस्था में आवेदन सह दिनाँक : 30.09.2016 तक जमा करना होगा ।

आवेदन पत्र केवल प्रक्रिया से दिनाँक : 01.08.2016 से 30.9.2016 तक सामान्य शुल्क के साथ भरे जा सकेगें । नियत तिथि के उपरान्त दिनाँक : 31.10.2016 तक 500/- रूपये विलम्ब शुल्क एवं दिनाँक : 30.11.2016 तक 1000/- विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे ।

संस्था प्राचार्य प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर छात्रों की पात्रता की जाँच करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे । छात्र उपरोक्त निर्देशों से भलीभांति अवगत हो सके इसके लिए निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी किये जाये ।

संलग्न 1. आवेदन पत्रों का प्रारूप ।
2. एस0 सी0/एस0 टी0 के शुल्क छूट/सूची का प्रपत्र ।
3. पात्रता सम्बंधी जानकारी का पोस्टर ।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर